रुपादेवी बनाम दीपाराम वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2021
GCMS No. 2021/132

मार्क ल स ह के अनुसार 15 फीट चौड़ाई में नियमानुसार देय प्रतिकर राशि के बदले में रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम खेराट तहसील जायल के ख.न. 258 में मार्क अ से ब , ख.न. 267/1 में मार्क स से द तथा ख.न. 792/259 में क्रमशः मार्क ब से व तथा मार्क ल से ह अनुसार 15 चौड़ाई का स्वीकृत व घोषित किया जाता है। संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम खेराट तहसील जायल के खसरा नं. 258, 267/1, 792/259 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) का नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22/12/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

22/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner